P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

पारिवारिक जीवन से निष्कासित वृद्ध विधवाओं की विविध स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन

अंजली मलिक
रिसर्च फैलो,
(पी०डी०एफ०)
आई०सी०एस०एस०आर०,
नई दिल्ली, भारत

सारांश

मानव जीवन के सबसे अन्तिम चरण की अवस्था को वृद्धावस्था का नाम दिया गया है। यह अवस्था मनुष्य के जीवन की निष्क्रियता और असहायता की अवस्था भी मानी जाती है, जिसमें पहुँचने पर व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य क्षीण होते जाते हैं। यह एक प्रकार से रोगों व समस्याओं की अवस्था भी मानी जा सकती है। यह अवस्था महिला एवं पुरूष दोनों को समान रूप से प्रताड़ित करती हैं परन्तु परिस्थितियाँ तब और भी अधिक विषमता से पूर्ण हो जाती हैं जब वृद्ध व्यक्ति (स्त्री या पुरूष) अपने परिवार के साथ न रहकर किसी अन्य स्थान पर अपना जीवनयापन करता है। इस समय में सर्वाधिक पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है परन्तु अधिकांशतः परिवार अपने बुजुर्गों को आज के समय में उन्हें अनावश्यक बोझ मानकर उनके दायित्वों का निर्वाह नहीं करना चाहते हैं। जिसके कारण हमारे भारतीय समाज में जहाँ 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा प्रचलित होती थी आज वहाँ बुजुर्ग उपेक्षित श्रेणी में अपना जीवन व्यतीत कर रहें हैं, जिसके चलते वृद्धाश्रमों (Old Age Home) जैसे प्रचलन भारतीय जीवनशैली के अंग बन गये हैं। समाज में उपेक्षित रहने वाली वृद्ध विधवा महिलाऐं एक अवशिष्ट अंग के समान अनुपयोगी होकर अत्यंत दुःखद गरीबी व असाधारण शारीरिक व मानसिक पीड़ाओं के साथ जीवन जीती हैं जिनके अनुरूप उन्हें सुविधाऐं भी उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ समाज व परिवार के नकारात्मक रवैये के कारण इन्हें इस संकटापन्न अवस्था से गुजरना पड़ रहा है जो उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यन्त कष्टकारी है।

मुख्य शब्द : अवशिष्ट अंग, संकटापन, विषमता, निरपवाद, एकांकीपन, निष्कासित,

प्रस्तावना

वृद्धावस्था को प्रायः हमारे भारतीय समाज में जटिलता एवं समस्याओं की अवस्था माना जाता है क्योंकि जैसे–जैसे मनुष्य वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ एवं समस्याऐं व्याप्त होनी प्रारम्भ हो जाती हं। जिनके कारण व्यक्ति अपना सामंजस्य आम जीवनशैली के साथ स्थापित करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। मानव जीवन की यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है। जिसके चलते वह अनेक रोगों से ग्रसित रहता है।

युवावस्था में स्त्री हो अथवा पुरूष अपने दायित्वों का वहन स्वयं करने में समर्थ रहते हैं परन्तु जैसे ही वह प्रौढ़ावस्था के उपरांत वृद्धावस्था में प्रवेश करते जाते हैं उनके स्वास्थ्य में शैनेः शैनेः गिरावट आनी प्रारम्भ हो जाती है। जिसके कारण वे स्वयं को शारीरिक दृष्टिकोण से असमर्थ पाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता है। इसके साथ ही उनमें आत्मविश्वास की कमी एवं कार्यक्षमताओं के स्तर में भी भारी गिरावट आती है। यह स्थिति पुरूषों एवं महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है। स्वामीनाथन डी0 (1996 : 20) ने वृद्धावस्था की बहुमुखी समस्याओं के सम्बन्ध में लिखा है कि वृद्धावस्था एक विशिष्ट बीमारी के समान है। यह वह बीमारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को लगती है, वह व्यक्ति जो जीवित रहता है अन्य सब बीमारियाँ इस बीमारी को निरपवाद रूप से जकड़ लेती हैं। वृद्धावस्था में शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के साथ–साथ व्यक्ति को परिवार एवं समायोजन, एकांकीपन एवं अलगाव, खाली समय का सृजनात्मक उपयोग न हो पाना तथा स्वयं एवं आश्रितों के पोषण हेतु अपर्याप्त आय आदि अनेकानेक समस्याऐं उसे घेरे रहती हैं। यह सभी तथ्य स्त्रियों एवं पुरूषों दोनों पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं।

वृद्धावस्था में समस्याऐं तब और अधिक भयावह रूप धारण कर लेती हैं जब अपने परिवार से अलग रहकर जीवनयापन करने वाली असहाय वृद्ध

विधवाओं के सन्दर्भ में अध्ययन किया जाता है। जहाँ समाज में वृद्धों की स्थितियाँ परिवार के साथ रहने पर भी बहुत ज्यादा संतोषजनक नही हैं, वहीं जब परिवार से निष्कासित वृद्ध विधवाओं से सम्बन्धित अध्ययन करने पर बहुत ही दुःखद स्थितियों सामने आती हैं।

वृद्धाश्रमों एवं अन्य जगहों पर निवास करने वाली वृद्ध विधवाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन करने पर उनकी बहुत ज्यादा दयनीय स्थितियाँ सामने आयी हैं, जहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार के वृद्धावस्था सम्बन्धी रोगों के साथ अन्य प्रकार के गंभीर जानलेवा किस्म के रोगों से ग्रसित भी पाया गया है। इन्हीं बीमारियों को ज्ञात करने के लिए हमने 250 सूचनादाता, वृद्ध विधवाओं से उनकी बीमारियों को ज्ञात करने का प्रयास किया है–

तालिका : रोग ग्रस्त वृद्ध विधवा सूचनादाता

क्र0 सं0	बीमारी का नाम	वृद्ध सूचनादाताओं विधवाओं की संख्या (250 में से)	
		आवर्ती	प्रतिशत
1.	आँखों का रोग (मोतिया बिन्द)	48	19.2
2.	गठिया	62	24.8
3.	मधुमेह	28	11.2
4.	क्षय रोग	14	5.6
5.	हाथ पैरों में कम्पन्न की समस्या	52	20.8
6.	अस्थमा	20	08
7.	ऊँचा सुनाई देना (बहरापन)	49	19.6
8.	कैंसर	18	7.2
9.	कुपोषण की समस्या	86	34.4
10.	पाचन क्रिया से सम्बन्धित समस्याऐं	92	36.8
11.	दाँतों की समस्या	89	35.6
12.	हृदय रोग	21	8.4
13.	रक्ताल्पता	56	20.4
14.	विस्मृति की समस्या	62	24.8
15.	गंभीर बीमारी (गुर्दे, लीवर की समस्या, अलजाईमर)	18	7.2
16.	मानसिक रोग	26	10.4

उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता 250 वृद्ध विधवाओं में से आँखों के रोगों के 19.2 प्रतिशत, गठिया से 24.8 प्रतिशत, मधुमेह की समस्या से 11.2 प्रतिशत, क्षयरोग से 5.6 प्रतिशत, हाथ पैरो में कम्पन्न की समस्या से 20.8 प्रतिशत, अस्थमा रोग से 08 प्रतिशत, ऊँचा सुनाई देना (बहरापन से) 19.6 प्रतिशत ग्रसित हैं। इनमें से 7.2 प्रतिशत वृद्धाऐं कैंसर से पीडित्रत पायी गयी हैं, साथ ही 34.4 प्रतिशत कुपोषण से ग्रस्त हैं। सर्वाधिक वृद्ध विधवाऐं पाचन क्रिया से सम्बन्धित समस्याऐं 36.8 प्रतिशत से पीड़ित है। आयु की अधिकता के कारण 35.6 प्रतिशत को दाँतों की समस्या है। हृदय रोग से 8.4 प्रतिशत रक्ताल्पता से 2.4 प्रतिशत व विस्मृति की समस्या से 24.8 प्रतिशत को समस्या से ग्रस्त पाया गया है। इसी प्रकार 7.2 प्रतिशत उत्तरदाता गंभीर बीमारी (गुर्दे, लीवर) एवं 10.4 मानसिक रोग से पीड़ित हैं।

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से वृद्ध विधवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थितियों का अध्ययन करने पर उनकों विभिन्न गंभीर रोगों से ग्रसित होने के उपरांत भी उनकों सही स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होना भी स्पष्ट होता है। अध्ययन में पाया गया है कि रोगग्रस्त वृद्ध विधवाओं को सरकारी व व्यक्तिगत चिकित्सीय सुविधाओं की भी बहुत अधिक अनुपलब्धता रहती है क्योंकि ये वृद्धाऐं अपनी अवस्था व अज्ञानता के कारण सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से भी लाभ नहीं ले पाती हैं। जहाँ इन्हें अपने इलाज के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण इनका आर्थिक रूप से असमर्थ होना है।

भारतीय संस्कृति में वृद्धों को बेहद सम्मानीय माना जाता है। उन्हें परिवार में सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है। वर्तमान समय में भी अधिकांश परिवारों में वृद्धों को परिवार का प्रमुख माना जाता है।

आज हमारे भारतीय समाज में पारिवारिक मूल्यों का विघटन हो रहा है, कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिन बुजूर्गो ने परिवार को अपने प्रेम और स्नेह से पोषित किया आज उन्हीं बरगद सरीखे बुजुर्गों की उनके परिजनों को आवश्यकता नहीं हैं। उन्हें उनके अपनों ने इस असहाय व कमजोरी की अवस्था में अकेला छोड़ दिया है। आज आधुनिक परिवेश के कारण उपजी उपभोक्तावादी संस्कृति ने उन्हें अपनो के बीच रहते हुए भी अजनबी बना दिया है जिस कारण ये वृद्धाश्रमों में अपनी मृत्यु की मौन प्रतीक्षा कर रहें है।

जहाँ अंतराष्ट्रीय स्तर पर 1 अक्टूबर को 'अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस' के रूप में मनाया जाता है, वहीं बुजुर्गो की उपेक्षा हमें यह सोचने पर विवश कर देती है कि इस प्रकार के दिवसों का आयोजन क्या मात्र दुनिया में एक औपचारिकता का निर्वाह भर है, सच्चाई इससे कही अधिक अलग है। 16 दिसम्बर सन् 1991 में संयुक्त

राष्ट्र संघ की महासभा में वृद्धजनों के हितों के संरक्षण हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के 18 सिद्धान्तों को अधिकमान्य करते हुऐ इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं–(1) स्वतंत्रता, (2) भागीदारी, (3) सम्मान, (4) देखभाल, (5) सम्पूर्णता, समाज में रहने वाले सभी प्राणियों को समान इन वृद्धों की सुरक्षा के प्रति समान दायित्व बनता है।

वृद्धों में स्त्री एवं पुरूष दोनों को समान आयु में समान एक जैसी ही समस्या झेलनी पड़ती है। वृद्धावस्था में वृद्धाओं को उनकी ऊर्जा के साथ शिक्षा, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं मनोरंजन के स्रोतों को अपनाने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये जिससे ये वृद्धाऐं अपने जीवन में पूर्णता का बोध करें। परिवार से अलग होकर रहने वाली वृद्ध विधवाओं को मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक सबलता की अत्यंत आवश्यकता होती है, जब उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता नहीं मिल पाती है, तब धीरे–धीरे समाज की मुख्य धारा से अलग–अलग पड़ जाती है।

वृद्धा विधवाओं को उसकी आयुनुसार भोजन व पोषण की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये जिसके चलते वो कुपोषण से होने वाले रोगों से बची रह सकें क्योंकि यदि शरीर कुपोषित हो जायेगा तो उनकी अवस्था अत्यंत दयनीय हो जायेगी।

हमारे भारतीय संविधान के नियमों के तहत ऐसे कानूनों की व्यवस्था की गयी हे जिसके लागू होने से वृद्धजन पूर्ण सुरक्षित रहे हो। वृद्धजनों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद–24 की सूची–3 एवं धारा–6 में वृद्धजनों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें इनके कार्य की दशाओं, भविष्यनिधि, शारीरिक अशक्तता की अवस्था एवं पेंशन आदि का उल्लेख मिलता है। इन सबके अतिरिक्त राजसूची के मद संख्या 9 एवं समवर्ती सूची की मद संख्या 20, 23 एवं 24 में वृद्धों की पेशन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा के अधिकार दिए गये हैं। राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धान्त के अनुच्छेद–41 के अनुसार कोई भी राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के भीतर बुजुर्गों को रोजगार, शिक्षा व विकलांगता एवं बीमार होने की स्थिति में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करेगा व इसके लिए आवश्यक नियमों को बनायेगा।

माता–पिता की देखभाल करना हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है परन्तु सामाजिक व्यवस्थाओं में इसके लिये अलग–अलग जिम्मेदारियाँ कानून ने निर्धारित की हुई हैं। समाज को वृद्धाओं की समस्याओं को लेकर जाग्रत कराया जाना आवश्यक है कि वृद्धाएं हमारी जिम्मेदारी नहीं वरन् हमारी आवश्यकता है। उनके पास जीवन के बहुमूल्य अनुभवों के खजाने का उपहार हैं, जिसको सहेज कर रखना प्रत्येक समाज में रहने वाले लोगों का उत्तरदायित्व बनता है, ये उनके प्रति समाज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है।

परिवारों में लिये जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में वृद्धाओं, विधवाओं को शामिल किया जाना आवश्यक है ताकि उन्हें परिवार व समाज में अपनी महत्ता का अहसास बना रहे। आज के आधुनिक समाज में वृद्धों को नकारा, दूसरों पर आश्रित सामाजिक स्वतंत्रता से दूर व अपने परिवार एवं आश्रितों से उपेक्षित एवं युवा वर्ग पर भार जैसा समझा जा रहा है। जब तक समाज वृद्धाओं के सम्मान, उनकी महत्ता को नहीं समझेगा, उस आयु में होने वाले तमाम कष्टों को महसूस नहीं करेगा तब तक समस्त आदर्शों व अच्छाइयों का गुणमान व्यर्थ ही होगा। वृद्ध विधवाओं के सम्मान हेतु जन चेतना जगाना आवश्यक है। इनकी अच्छी दशा के लिए विशेष प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वन अत्यंत आवश्यक है। इनके जीवन में उत्साह व सम्मान की वृद्धि आवश्यक है।

अधिकांश उत्तरदाता महिलाओं ने बताया है कि बुढ़ापे ने परिवार में उनकी भूमिका को प्रभावित किया है। उनका मानना था कि परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए परिवार के सदस्यों ने उनसे सलाह नहीं ली थी। उनका मानना था कि उनकी शारीरिक बीमारी और आर्थिक पर निर्भरता के कारण उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा उनकी अनदेखी की गई है। इन सभी समस्याओं के कारण दुखी होने के कारण उन्होंने अपने घर के स्थान पर वृद्धाश्रम में निवास करने को प्राथमिकता दी क्योंकि घर पर उन्हें असहजता का वातावरण महसूस होता था। चीन एवं भारत विश्व के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनमें भी बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा के चलते बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हुई है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश में वृद्धजनों की संख्या 10.38 करोड़ है।

आज के समय में सामाजिक मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं। पुराने समय में घर के बुजुर्गों की सेवा करना हमारे संस्कारों में समाहित होता था परन्तु जैसे–जैसे समय बदला भारतीय संस्कृति और सामाजिक परिवेश भी उससे अछूता नहीं रहा है। यह भी तेजी से बदले और पाश्चात्य देशों की व्यक्तिवादिता ने भारतीय समाज और संस्कृति की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा को क्षीण कर दिया। जिसके फलस्वरूप हम जिन बुजुर्गों को अपनी धरोहर मानते थे। आज वहीं दर–दर की ठोकरे खाने को विवश है क्योंकि आज बुजुर्ग के समय में इन वृद्धों की घर की जगह व्यक्तिवादिता ने ले ली है, जिस कारण हमारे देश की रीढ़ समझा जाने वाली पारिवारिक संस्कृति समाप्त होती जा रही है। आज परिवार में वृद्ध दादा–दादी तो धरोहर न रहकर बोझ माने जाते हैं। वृद्धों से सम्बन्धित अध्ययनों में यह बात सामने आयी है कि युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों की सेवा का भार उठाने में स्वयं को असमर्थ समझती है। युवाओं के अन्दर पारिवारिकता के स्थान पर व्यक्तिवादिता की भावना अधिक प्रबल हो गयी है जिस कारण वे अपने बूढ़े माता–पिता से जुड़े दायित्वों का निर्वाह नहीं करना चाहते है।

बुढ़ापे में शरीर विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाता है जिसके कारण स्वयं के दैनिक कार्यों को सम्पादित करने में भी वृद्धावस्था में समस्या होती है। वृद्धा आश्रमों में निवास करने वाली वृद्ध विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उनके पास न तो उनके शारीरिक अवस्था के अनुरूप साधन है और न ही चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था है। अधिकांश वृद्धाओं का कहना है कि उन्हें केवल सामान्य बीमारियों का ही उपचार उपलब्ध हो पाता है जैसे–सर्दी, बुखार। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें गंभीर

किस्म की बीमारी होती है तो उनकी स्थिति बहुत बदतर हो जाती है क्योंकि आर्थिक रूप से असमर्थता के कारण उन्हें सही उपचार नहीं मिल पाता है और उनका स्वास्थ्य और आर्थिक खराब हो जाता है। गंभीर रोगों के उपचारों की सरकार के द्वारा की गयी सरकारी सुविधाओं से भी इन्हें वंचित रहना पड़ता है। सरकारी तंत्र की सही जानकारी न होना भी इसका सबसे बड़ा कारण है, साथ ही आयु की अधिकता के कारण ये इतनी भागदौड़ कर पाने में भी असमर्थ हैं। सरकारी इलाज की अधिक औपचारिकताओं के कारण इन्हें मदद नहीं मिल पाती है। यदि कभी ये वृद्धाऐं सफल भी हो जाती हैं तो बहुत कम ऐसी है कि जो पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ ले पाती है, नहीं तो अधिकांश की इलाज में देरी के कारण रोग से उबर पाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जिसके फलस्वरूप अधिकांश की मृत्यु भी हो जाती है। सरकार को ऐसी वृद्धाओं के लिए ओर भी अधिक सुविधाजनक नियमों को बनाना चाहिये ताकि समय आने पर इन्हें उचित उपचार मिल सके और इनके कष्टों का निवारण हो जाये।

अध्ययन के उद्देश्य

1. परिवार से निष्कासित वृद्ध विधवाओं की वृद्धावस्था में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना।
2. अध्ययन के द्वारा उनके उपचार व्यवस्था का अध्ययन करना।

निष्कर्ष

वृद्धावस्था को जीवन की संध्या अवस्था भी कहा जाता है, यह जीवन का अन्तिम पड़ाव है, जो विभिन्न प्रकार के कष्टों व समस्याओं से पूर्ण है। हम सभी जानते है कि इसको टाला नहीं जा सकता है स्मरण शक्ति का लोप, सुनने, देखने, चलने–फिरने सहित कई समस्याओं से वृद्धावस्था में गुजरना पड़ता है। इस प्रकार की विकलांगता की जितनी समस्याऐं हैं, प्रायः वृद्धाओं को वो सभी झेलनी पड़ती है, किन्तु इन परिवार से अलग रहने वाली वृद्ध विधवाओं के लिए जो सर्वाधिक दुःखद पक्ष है वो है इनके अपने परिजनों का इनके दायित्वों का निर्वाह करने के स्थान पर इनसे अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना और इनकी उपेक्षा करना। परिजनों और पुनर्वास–कर्मचारियों को चाहिये कि वे वृद्धों के प्रति सम्मान व उदारता का भाव रखते हुऐ सेवा की भावना के साथ उनसे जुड़े दायित्वों का निर्वाह करें। उनके लिए समुचित चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करें जिससे उनके जीवन का अन्तिम समय कष्टों में न व्यतीत हो। वृद्धावस्था के कष्टों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है परन्तु उन्हें सेवा और सम्मान व उचित चिकित्सा व्यवस्था से कुछ हद तक नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। पारिवारिक विघटन भारतीय समाज में बढ़ा है जिसके कारण परिवारों में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है कि वृद्ध कहाँ जाये? जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास और समृद्धि को समर्पित कर दिया, आज वह अन्तिम पड़ाव पर कहाँ जाये। आज वहीं बुजुर्ग उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार वृद्धजनों (स्त्री एवं पुरूषों) के सम्बन्ध में बनाये गये कानूनों को सख्ती से लागू करें। साथ ही इनके पुर्नवास की समस्त व्यवस्थाओं को दुरूस्त किया जाये व स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी कानूनों का सही ढंग से लागू न होने पर कठोर कार्यवाही करें। जिससे वृद्ध विधवाओं को किसी पर आश्रित न रहना पड़े।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

तिवारी, देवी प्रसाद : 'प्राचीन भारत में विधवाएँ', तरूण प्रकाशन, लखनऊ, 1994

स्वामीनाथन डी. : इष्टिग्रेशन ऑफ दि एज्ड इन टू दि डवलेपमेण्ट प्रोसिस इन इण्डिया, वाल्यूम–2, नं0–2, 1996, इण्डियन जर्नल ऑफ रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली।

रानी, वन्दना (1998) : 'वृद्धजन समस्याएँ एवं प्रत्याशाएँ', प्रकाशित शोध प्रबन्ध एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड वि0वि0, बरेली।

डॉ0 भौमिक, अभिजीत, भौमिक, सुनीता (2008) : 'वृद्धजनों की समस्याएँ : एक सामाजिक दृष्टिकोण', शोध उपक्रम, छत्तीसगढ़, शोध संस्थान, रामपुर, अंक–27

चौधरी, डी0 पाल : वृद्धावस्था की समस्याएँ 510 वृद्धाओं का सर्वेक्षण प्रकाशित शोध–पत्र, समाज विज्ञान संस्थान द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, हैदराबाद वि0वि0, 1997, स्मारिका।

सिंह, मनोज कुमार (2000) : 'भारत में सामाजिक परिवर्तन', आदित्य पब्लिर्शस, बीना, मध्य प्रदेश।